भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2500

जिसका उत्तर 13 मार्च, 2025 को दिया जाना है।

.....

जम्मू और कश्मीर में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम

2500. श्री मियां अल्ताफ अहमद:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र प्रायोजित त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) को बंद कर दिया गया है, जबकि इस कार्यक्रम के तहत शुरू की गई विभिन्न परियोजनाएं पूरी नहीं हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार जम्मू-कश्मीर में इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए किसी अन्य योजना से धनराशि उपलब्ध कराएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (ग): प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) एक अम्ब्रेला योजना है, जिसे वर्ष 2015-16 में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के एक घटक के रूप में शुरू किया गया था। एआईबीपी का उद्देश्य वृहत और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के पूर्ण/विस्तार होने, नवीकरण और आधुनिकीकरण के माध्यम से सिंचाई क्षमता के सृजन/पुनरुद्धार पर ध्यान केंद्रित करना है।

जम्मू-कश्मीर की तीन परियोजनाओं को पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिनमें राजपोरा लिफ्ट परियोजना, मुख्य रावी नहर का पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण तथा त्राल लिफ्ट सिंचाई परियोजना शामिल हैं। ये तीनों परियोजनाएं 58.30 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता के सृजन/पुनरुद्धार के साथ पूर्ण हो चुकी हैं।

दिसंबर, 2021 में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए एआईबीपी घटक के साथ पीएमकेएसवाई के कार्यान्वयन को जारी रखने का अनुमोदन दिया गया है। वर्ष 2021-2026 की अवधि के दौरान पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत नई परियोजनाओं को शामिल करने का प्रावधान रखा गया है।

*****